प्रेस नोट　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　दिनांक 17.01.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 01 लाख 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक/विवेचक श्री उमेश बहादुर सिंह थाना मुरादनगर द्वारा की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो एक्ट) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मुरादनगर, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 302/201/377/376A भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त महाजन पुत्र लल्लू निवासी झुग्गी झोपडी इन्द्रापुरी थाना मुरादनगर गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 17.01.2026 को धारा-302 भादवि में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 377 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 6 पॉक्सो अधि0 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

वादी द्वारा अपनी नाबालिक बच्ची के बिना बताये कहीं खेलते हुए घर से चले जाने व पाईप लाईन रोड पर गन्ने के खेत में उसके मृत पड़े होने के सम्बन्ध में दिनांक 08.04.2019 को थाना मुरादनगर पर धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियोग में विवेचना के दौरान सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर धारा 377/376A भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी थी।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**म0मु0आ0 प्रवेशपाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 अरुण कुमार** पैरोकार थाना मुरादनगर

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट की मदद से हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बैटरी ऑटो व आला कत्ल एक सिलेण्डर बरामद।

दिनांक 16.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी नितिन पुत्र स्व0 श्रीराम निवासी ग्राम मिल्क विकास नगर, लोनी जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई नवीन की हत्या कर शव को ऑटो में जला देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा-103(1)/238 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों व मैनुअल इनपुट के आधार पर घटना के अनावरण हेतु लगातार प्रयास किये गये।

तत्पश्चात आज दिनांक 17/01/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट की मदद से हत्या की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.पवन पुत्र किरण पाल हाल निवासी निशांत कालोनी कांरवा मैरिज होम के पीछे थाना लोनी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम गोठरा थाना खेखडा जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष 2. सागर उर्फ पण्डित पुत्र सुशील हाल निवासी रंजीत गेट वाली गली निशांत कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष को पंचलोक गेट के पास से गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बैटरी ऑटो व आला कत्ल 01 गैस सलैण्डर बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण ने बताया कि मृतक नवीन निवासी मिलक विकास नगर थाना अंकुर विहार जनपद गाजियाबाद हमारा दोस्त था। नवीन हम दोनों को तथा अपने एक अन्य दोस्त नसीम पुत्र इकबाल निवासी पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को लेकर दिल्ली में किसी तांत्रिक के पास आया था। नवीन व तांत्रिक आपस में बात करने लगे कि यदि किसी अपने जानने वाले नजदीकी व्यक्ति की बलि दी जाए तो वह मालामाल व ईश्वर के साक्षात्कार हो सकते है तब नवीन ने तांत्रिक से पूछा कि क्या वह अपने किसी दोस्त की बलि दे सकता है तो तांत्रिक ने कहा कि हाँ किसी की भी बलि दी जा सकती है, यह बात हमने सुन ली थी और उसके बाद हम चारों लोग वापस आ गए थे। हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि नवीन मालामाल होने तथा ईश्वर से साक्षात्कार होने के लिए हम में से किसी की भी बलि दे देगा तो हम दोनों तथा नसीम पुत्र इकबाल निवासी पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद ने मिलकर नवीन को सागर के कमरे में बहाने से बुला लिया तथा मौका पाकर दिनांक 13/01/2026 को रात्रि में गैस सिलेण्डर से जो हमारे पास है से बारी-बारी से हम तीनों ने मिलकर नवीन के सिर व कमर पर चोट पहुंचाकर जान से मार दिया था और उसके बाद हम तीनों ने नवीन के शव को ठिकाने लगाने के लिए नवीन के शव को कम्बल में लपेटकर उसी के ऑटो में रखकर घिठोरा मोड के पास जंगल में ले जाकर ऑटो के साथ नवीन के शव को आग लगाकर जला दिया था। इसके उपरांत हम तीनों नसीम के ऑटो से वहाँ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1. पवन पुत्र किरण पाल हाल निवासी निशांत कालोनी कांरवा मैरिज होम के पीछे थाना लोनी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम गोठरा थाना खेखडा जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष
2. सागर उर्फ पण्डित पुत्र सुशील हाल निवासी रंजीत गेट वाली गली निशांत कालोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

नसीम पुत्र इकबाल निवासी पंचलोक थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद (फरार)

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त एक ऑटो बैटरी संचालित रजिस्ट्रेशन संख्या UP14 RT6439 रंग आसमानी नीला

2. घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त पवन के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या का 01 अभियोग, अभियुक्त सागर उर्फ पण्डित पर हत्या का 01 अभियोग व थानाबडौत जनपद बागपत पर डकैती सहित हत्या का 01 अभियोग, चोरी की सम्पत्ति बरामद होने का 01 अभियोग, थाना दोघट जनपद बागपत पर लूट का 01 अभियोग, चोरी का 01 अभियोग, जान से मारने की धमकी का 01 अभियोग व 2/3 गैगस्टर एक्ट का 01 अभियोग (कुल 07 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा चोरी के ट्यूबवैल के पाईप के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.01.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की ट्यूबवैल से 30 मीटर पाईप चोरी कर लिया गया है व एक कबाडी की दुकान पर देखा गया है। जिसके संबंध में थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.01.2026 को उपरोक्त चोरी के टयूबवैल पाईप के साथ अभियुक्त अहमद परवेज उर्फ परवेज आलम पुत्र इरफान निवासी म0नं0 326 मौहल्ला कालमूगियान ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी का ट्यूबवैल का पाईप 30 मीटर बरामद की गयी तथा प्रकाश में आया कि अभियुक्त PFI का सदस्य भी रहा है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा- 317(4) बीएनएस की वृद्धि कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त की तलाश की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत है। मैं पहले जेल भी गया हूँ, जेल से आकर मैंने कबाडी की दुकान खोल ली थी। मैं ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से चोरी का सामान भी खरीद लेता हूँ। मैंने दिनांक 15.01.2026 को किसी राह चलते व्यक्ति से यह चोरी का 30 मीटर पाईप खरीद लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अहमद परवेज उर्फ परवेज आलम पुत्र इरफान निवासी म0नं0 326 मौहल्ला कालमूगियान ग्राम कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

चोरी का 30 मीटर ट्यूबवैल का पाईप बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, इसके अतिरिक्त थाना मुरादनगर पर बलवा संग आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम का एक अभियोग व थाना नौचंदी मेरठ मे बलवा संग आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम का एक अभियोग व थाना लिसाडी गेट मेरठ मे बलवा संग आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा बलवा के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16/01/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी सुनील त्यागी पुत्र स्व0 भिक्का निवासी ग्राम मीरपूर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1-गौरव पुत्र धर्मवीर 2-आकाश पुत्र धर्मवीर 3-रिंकु पुत्र मूलचन्द 4- नितिन पुत्र धन सिंह निवासीगण ग्राम मीरपूर हिन्दू थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद व 5-अशोक पुत्र सुखवीर निवासी निठोरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद आदि द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग करना जिससे वहां पर मौजूद निकुल पुत्र मनुदेव के पैर में गोली लग जाने व पिस्टल की बट व रोड से हमला करने जिससे मनुदेव पुत्र स्व0 भिक्का व शशीकान्त पुत्र सतवीर को चोट लगना व गाडी ग्रांड विटारा नं0 UP14FY7473 जिसमें 03 लाख रूपये नकद रखे हुए थे, लेकर फरार हो जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल धारा 311/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा-311 बीएनएस लूटपाट के अपराध का होना नहीं पाया गया, बल्कि अभियुक्तगण द्वारा तमंचे, लाठी डण्डो से लैस होकर वादी के भतीजे निकुल व शशिकान्त व भाई मनुदेव पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करना, जिससे निकुल के पैर में गोली लगना और गम्भीर रूप से घायल हो जाना व मनुदेव व शशिकान्त को चोट आना पाया गया। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा-311 बीएनएस का लोप करते हुये धारा-191(2)/191(3)/190/109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त मंकित पुत्र बृजपाल निवासी निठौरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया।

तत्पश्चात आज दिनांक 17/01/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्तगण 1.मंकित पुत्र बृजपाल निवासी निठौरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष 2.अशोक पुत्र सुखवीर निवासी निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र पचायरा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तगण ने बताया कि हमारा काफी समय पहले से सुनील त्यागी व उसके परिवार के लोगों से भूमि का विवाद चल रहा था, जिस कारण हम दोनों के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनील त्यागी के परिवार के लोगों पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी गयी तथा घटना कारित करने के बाद हम सभी लोग फरार हो गये थे। आज हम गाजियाबाद से बाहर जाने की फिराक में थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार/वांछित अभियुक्त गण का नाम व पता-

1.मंकित पुत्र बृजपाल निवासी निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष
2.अशोक पुत्र सुखवीर निवासी निठौरा थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मंकित के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना कारित करने का 01 अभियोग, थाना लोनी पर हत्या का 01 अभियोग, थाना अंकुर विहार पर आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग)। अभियुक्त अशोक के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना लोनी पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग (कुल 02 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।